तत्काल/ IMMEDIATE

भारत सरकार/ Government of India
परमाणु ऊर्जा विभाग/ Department of Atomic Energy
निर्माण, सेवा एवं संपदा प्रबंध निदेशालय
Directorate of Construction, Services & Estate Management
(आबंटन अनुभाग/ Allotment Section)

दूसरा तल, उत्तर स्कंध,/ 2nd floor, North Wing,
विक्रम साराभाई भवन,/ Vikram Sarabhai Bhavan,
अणुशक्तिनगर,/ Anushaktinagar,
मुंबई 400 094 / Mumbai - 400 094.

सं.: निसेसंप्रनि/1/19/आबंटन/2025-26/Part-I/684

19 September 2025

परिपत्र / CIRCULAR

विषय: आबंटन वर्ष 2025-2026 में जिन स्थानों की प्राथमिकता सूची कवर की गई है उन के लिए विशेष आबंटन - REG

SUB: SPECIAL ALLOTMENT FOR LOCATIONS WHEREIN COMPLETE PRIORITY LIST IS COVERED FOR ALLOTMENT YEAR 2025-2026 – REG

REF: (i) परिपत्र संख्या निसेसंप्रनि/1/19/2025-26/भाग-I/616 दिनांक 19.06.2025
Circular no. DCSEM/1/19/2025-26/Part-I/616 dated 19.06.2025

(ii) परिपत्र संख्या निसेसंप्रनि/1/19/2025-26/भाग-I/626 दिनांक 24.06.2025
Circular no. DCSEM/1/19/2025-26/Part-I/626 dated 24.06.2025

(iii) परिपत्र संख्या निसेसंप्रनि/1/19/2025-26/भाग-I/638 दिनांक 09.07.2025
Circular no. DCSEM/1/19/2025-26/Part-I/638 dated 09.07.2025

निर्माण, सेवाएं और संपदा प्रबंधन निदेशालय ने उपर्युक्त परिपत्रों के अनुसार टाइप सी एटोमिका और टाइप सी बांद्रा में गैर-आबंटित फ्लैटों को ऑफलाइन आबंटन हेतू सभी पात्र डीएई कर्मचारियों, जिनकी अद्यतन प्रोफाइल डीएई निवास में उपलब्ध है और जिनकी प्राथमिकता संख्या 11.04.2025 को प्रकाशित अंतिम प्राथमिकता सूची में ली गई है, को प्रस्तुत किये गए ।

Directorate of Construction, Services and Estate Management, vide above referred circulars, conducted offline allotment of un-allotted flats in Type C Atomica and Type C Bandra, offering these flats to all eligible DAE employees whose updated profile is available in DAE Niwas and whose priority nos. are derived in Final Priority List published on 11.04.2025.

2. विशेष आबंटन के परिणाम के प्रकाशन के बाद, यह पाया गया कि टाइप सी एटोमिका और टाइप सी बांद्रा में प्रस्तावित फ्लैट पूरी तरह से आबंटित नहीं किए गए ।

Post publication of result for special allotment, it was found that flats offered in Type C Atomica and Type C Bandra remained completely un-allotted.

3. पउवि समर्थित शहरी विकास मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन 14.07.2003 को ध्यान में रखते हुए, सक्षम प्राधिकारी ने जो फ्लैट विशेष परिपत्र जारी होने के बाद भी आबंटित नहीं किए गए उन्हें अधिशेष फ्लैटों के रूप में वर्गीकृत करने और **सामान्य लाइसेंस शुल्क के भुगतान पर** पात्रता को एक कदम कम करके कर्मचारियों को आबंटित करने की मंजूरी दे दी है। तदनुसार, पात्रता को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है।

Keeping in view DAE endorsement of MoUD OM dated 14.07.2003, as these flats remained un-allotted even after issuance of special circular, the Competent Authority has approved to categorize them as surplus flats and allot them to employees in one step lower the entitlement on payment of normal licence fee. Accordingly, entitlement is defined as follows.

Sr. No.	**फ्लैट उपलब्ध हैं Flats available in**	**निर्धारण वर्ष 2025-20206 की प्राथमिकता सूची से पात्र कर्मचारी | Employees Eligible from priority list of AY 2025-20206**
01.	टाइप सी एटोमिका Type C Atomica	टाइप बी के लिए पात्र कोई भी कर्मचारी जिसकी प्राथमिकता संख्या (किसी भी स्थान के लिए) व्युत्पन्न है, आवेदन कर सकता है । Any employee eligible for Type B whose priority nos. are derived (for **any** location) can apply.
02.	टाइप सी बांद्रा Type C Bandra	

केवल वे कर्मचारी जिनका नाम 11.04.2025 को प्रकाशित टाइप बी (किसी भी स्थान के लिए) के लिए निर्धारण वर्ष 2025-26 की अंतिम प्राथमिकता सूची में है, वे क्रमशः टाइप सी एटॉमिका और टाइप सी बांद्रा में गैर-आबंटित फ्लैटों के लिए आवेदन कर सकते हैं।

Only those employees whose name appears in the Final Priority List for AY 2025-26 published on 11.04.2025 for **Type B (For Any Location)** can apply for un-allotted flats in Type C Atomica and Type C Bandra (any one location only), respectively.

4. टाइप सी एटॉमिका और टाइप सी बांद्रा के लिए ऑफलाइन वरीयता फॉर्म जमा करने के लिए अनुमोदित विस्तृत मानदंड निम्नानुसार हैं:: The detailed criteria approved for submitting offline preference form for Type C Atomica and Type C Bandra are as follows:

क. जिन अधिकारियों का अद्यतन प्रोफ़ाइल डीएई निवास में उपलब्ध है और जिनकी प्राथमिकता संख्या टाइप बी (किसी भी स्थान के लिए) में है, वे ही इस विशेष आबंटन के पात्र होंगे।

a. Officials whose updated profile is available in DAE Niwas and whose priority no. is derived in Type B (for any location) will only be eligible for this special allotment.

ख. अधिकारी केवल एक ही स्थान के लिए अपनी प्राथमिकता भर सकते हैं।

b. Officials can fill their preference for one locality only.

ग. जिन कर्मचारियों को टाइप बी नियमित आबंटन (नए/समान श्रेणी में परिवर्तन) में लघु एवं प्रमुख मरम्मत फ्लैट (श्रेणी बी एवं सी) अनंतिम रूप से आबंटित किए गए हैं और जिनका

फ्लैट आज तक तैयार नहीं हुआ है, वे भी एकमुश्त उपाय के रूप में इन फ्लैटों के लिए आवेदन कर सकते हैं।

c. Employees who have been PROVISIONALLY ALLOTTED minor and major repair flat (Category B & C) in Type B regular allotment (fresh /change in same category) and whose flat is not ready till date, can also APPLY for these flats as a onetime measure.

टाइप सी एटोमिका और टाइप सी बांद्रा के आबंटन पर, आवेदक को इस विशेष परिपत्र आबंटन परिणाम के प्रकाशन की तिथि से 02 दिनों के भीतर पूर्व नियमित आबंटन अनुसूची में अनंतिम रूप से आबंटित फ्लैट और नए आबंटित टाइप सी एटोमिका और टाइप सी बांद्रा फ्लैट में से किसी एक को चुनना होगा। यदि कर्मचारी द्वारा यह विकल्प नहीं चुना जाता है, तो नए आबंटित फ्लैट को रद्द कर दिया जाएगा और उसे वापस रिक्ति में ले लिया जाएगा।

On allotment of Type C Atomica and Type C Bandra, applicant will be required to choose between the provisionally allotted flat in earlier regular allotment schedule and newly allotted Type C Atomica and Type C Bandra flat within a period of 02 DAYS from date of publication this Special Circular allotment result. In case, the option is not exercised by the employee, newly allotted flat will be cancelled and taken back into vacancy.

घ. इसकी विशेष व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए, ट्रांजिट आवास में रहने वाले अधिकारियों के लिए इन फ्लैटों के लिए अपना विकल्प चुनना अनिवार्य नहीं होगा। हालांकि, यदि कोई कर्मचारी इन फ्लैटों के लिए अपना विकल्प चुनता है और उसे टाइप सी एटॉमिका /टाइप सी बांद्रा में फ्लैट आबंटित किया जाता है, तो उसे रद्द नहीं किया जा सकेगा और उसके लिए इन फ्लैटों में स्थानांतरित होना अनिवार्य होगा।

d. Considering its special dispensation, it will not be compulsory for the officials staying in transit accommodation to exercise their option for these flats. However, if any employee exercises his option for these flats and is allotted a flat in Type C Atomica / Type C Bandra, the same cannot be cancelled and it will be compulsory for him/her to shift to these flats.

ई. मुंबई में अपने संबंधित इकाइयों में स्थानांतरण के बाद शामिल हुए अधिकारी (दिनांक 11.04.2025 को अंतिम प्राथमिकता सूची 2025-26 के प्रकाशन के बाद) और जिन्होंने आबंटन वर्ष 2025-26 के लिए आवेदन किया है, वे भी एकमुश्त उपाय के रूप में इन फ्लैटों के लिए आवेदन करने के पात्र हैं।

e. Officials joined on transfer to their respective units in Mumbai (post publication of Final Priority List 2025-26 on 11.04.2025) and have applied for Allotment Year 2025-26 are also eligible to APPLY for these flats as a onetime measure.

च. जिन अधिकारियों को इस विशेष आबंटन में फ्लैट आबंटित किया गया है, उन्हें शेष आबंटन वर्ष के लिए उनके संबंधित प्रकारों में नियमित टाइप सी आबंटन के लिए विचार नहीं किया जाएगा, भले ही कर्मचारी द्वारा बाद में फ्लैट रद्द कर दिया गया हो।

f. Ineligible officials who have been allotted a flat in this special allotment will not be considered for regular Type B allotment in their respective types for the rest of Allotment Year even though the flat is cancelled by the employee subsequently.

ग. इसके अलावा, जिन अपात्र अधिकारियों को इस आबंटन के दौरान टाइप सी फ्लैट आबंटित किया गया है, वे उसी श्रेणी में बदलाव का लाभ तभी उठा सकते हैं जब वे टाइप सी आवास के लिए पात्र हो जाएं।

g. Also, ineligible officials who have been allotted Type C flat during this allotment can avail change in same category only when they become eligible for Type C accommodation.

5. टाइप सी एटॉमिका और टाइप सी बांद्रा के आबंटन के लिए स्थापना/प्रशासन अनुभाग से अलग से प्रमाणीकरण की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि प्रासंगिक विवरण निर्धारण वर्ष 2025-2026 के लिए 11.04.2025 को प्रकाशित अंतिम प्राथमिकता सूची से प्राप्त किए जाएंगे।

No separate certification from establishment / administration section would be required for allotment of Type C Atomica and Type C Bandra as relevant details will be obtained from the Final Priority List published on 11.04.2025 for AY 2025-2026.

6. अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति रोस्टर का संचालन पहले इस आबंटन के लिए किया जाएगा, उसके बाद नियमित सितम्बर 2025 आबंटन किया जाएगा।

The SC/ST Roster will be operated first for this allotment followed by the regular September 2025 allotment schedule.

7. टाइप सी एटोमिका और टाइप सी बांद्रा के आबंटन के लिए विधिवत भरे हुए ऑफ़लाइन आवेदन 19 सितम्बर से 22 सितम्बर 2025 तक daeniwas_help@dcsem.gov.in पर ईमेल किए जाने हैं। किसी अन्य माध्यम से/किसी अन्य ईमेल आईडी पर सबमिट किए गए स्कैन किए गए आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। आबंटन अनुभाग में कोई हार्ड कॉपी स्वीकार नहीं की जाएगी।

Duly filled offline applications for allotment of Type C Atomica and Type C Bandra are to be e-mailed from **19th September to 22nd September 2025** to **daeniwas_help@dcsem.gov.in** The scanned application submitted by any other mode / to any other email ID will not be considered. **No Hard copies will be accepted in Allotment Section.**

8. इस आबंटन का ऑफ़लाइन परिणाम संभवतः 23 सितम्बर 2025 को प्रकाशित किया जाएगा।
The offline result of this allotment will be published tentatively on 23rd September 2025.

यह निदेशालय में सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।
This issues with the approval of Competent Authority in this Directorate.

उपरोक्तानुसार संलग्न
Encl.: As above.

आशा जैसन 19.9.25

(आशा जैसन / Asha Jaison)

प्रशासनिक अधिकारी / Administrative Officer - III **(संपदा प्रबंध / EM)**

प्रति To,

मुंबई के पऊवि इकाइयों के प्रशासनिक प्रमुख
Administrative Head of DAE Units in Mumbai

अनुलग्नक – I

टाइप सी एटॉमिका और टाइप सी बांद्रा के विशेष आबंटन के लिए आवेदन

आवेदन संख्या केवल आधिकारिक प्रयोग के लिए	

* कृपया ब्लॉक को केवल बड़े अक्षरों से भरें
* यदि लागू न हो तो पूरा भाग काट दें
टिक मार्क ☑ लागू में

खंड 1: व्यक्तिगत डेटा

इकाई | सी.सी. नं. / / | कर्मचारी संख्या. | पिछला सी.सी. नं. (यदि कोई हो) / /

श्री/श्रीमती/सुश्री/कुमारी . उपनाम | पहला नाम | मध्य नाम

पदनाम (वर्तमान) | विभाजन

लिंग : पुरुष ☐ | वैवाहिक स्थिति: : विवाहित ☐

जन्म तिथि | महिला ☐ अ.जा ☐ अ.ज ☐ | अविवाहित ☐

स्थाई खाता संख्या | शारीरिक रूप से विकलांग ☐

खंड-2: विशेष आबंटन के लिए उपलब्ध फ्लैटों को वरीयता (किसी एक स्थान का चयन करें)

क. टाइप सी – एटोमिका (केवल टाइप बी एटॉमिका सूची के कर्मचारी ही आवेदन कर सकते हैं)

इलाका	Flat no.	प्रकार	रखरखाव की स्थिति	वरीयता (संख्या में)
एटोमिका डीएई क्वार्टर्स, पी.के. अत्रे मार्ग, वरळी, मुंबई - 400 018.	07 (शून्य तल)	C	तैयार	

ग. टाइप सी – बांद्रा

इलाका	Flat no.	प्रकार	रखरखाव की स्थिति	वरीयता (संख्या में)
डीएई अपार्टमेंट, प्लॉट नंबर 379, 15वीं रोड, बांद्रा, मुंबई ।	B – 11 (दूसरी मंजिल)	C	तैयार	
	B – 08 (पहली मंजिल)	C	तैयार	
	C – 03 (शून्य तल)	C	प्रमुख मरम्मत	

घोषणा

मैं सरकारी आवास आवंटन (डीएई) मुंबई नियम 1982 और समय-समय पर संशोधित नियमों तथा उसके तहत जारी निर्देशों का पालन करने के लिए सहमत हूँ। मैं प्रमाणित करता हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी सही है और मुझे पता है कि किसी भी जानकारी के गलत पाए जाने पर उचित कार्रवाई की जाएगी।

तारीख: _____ आवेदक के हस्ताक्षर

संपर्क नम्बर: कार्यालय _____ गतिमान _:_____

ई-मेल आईडी: आधिकारिक _____ निजी:_ _____

प्रति,
सकाअ, आबंटन अनुभाग, निर्माण, सेवा एवं संपदा प्रबंध निदेशालय.

ANNEXURE -I

APPLICATION FOR SPECIAL ALLOTMENT OF TYPE C ATOMICA & TYPE C BANDRA

Application No. (For official use only)	

* PLEASE FILL THE BLOCKS WITH CAPITAL LETTERS ONLY
* STRIKE OUT WHOLE SECTION IF NOT APPLICATBLE

TICK MARK ☑ IN APPLICABLE BOXES

SECTION-1: PERSONAL DATA

UNIT ☐☐☐☐☐ C.C. No. ☐☐ / ☐☐☐ / ☐☐☐☐ Employee No. ☐☐☐☐☐☐☐☐ Previous C.C. No. (If any) ☐☐ / ☐☐☐ / ☐☐☐☐

Shri/Smt./Ms./Kum. ☐ SURNAME ☐☐☐☐☐☐☐☐